



दिनांक 30.05.2026

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त**  
**गिरफ्तार, कब्जे से कुल 220 ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा”के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदयनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दिनांक 30.05.26 को चैकिंग / गस्त के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. शादाब पुत्र नौशाद निवासी लडकियो का मदरसा के आगे लहियागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 2. जुबैर पुत्र शहजाद निवासी महफूज गार्डन लडकियो के मदरसे के पास थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को निर्माणाधीन बाईपास के पास निर्माणाधीन दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 110-110 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 249/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. शादाब पुत्र नौशाद निवासी लडकियो का मदरसा के आगे लहियागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. जुबैर पुत्र शहजाद निवासी महफूज गार्डन लडकियो के मदरसे के पास थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण-**

220 ग्राम अवैध चरस

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 275 सचिन कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2201 विपन कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 2326 हिम्मत सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 30.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त अमित कुमार पुत्र अन्तलेश कुमार नवासी ग्राम परागपुर थाना को0देहात जिला सहारनपुर** को संबंधित वाद स0 21/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर (श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी महिलाओ के विरुद्ध अपराध सहारनपुर) में ग्राम परागपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

1. अमित कुमार पुत्र अन्तलेश कुमार नवासी ग्राम परागपुर थाना को0देहात जिला जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. है0का0 40 सन्नी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर



दिनांक: 30.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत दो गुमशुदा युवतियों को हरियाणा राज्य से सकुशल बरामद किया गया**

### **विवरण:-**

दिनांक 20.05.2026 को वादी आशीष श्री शिवचरण निवासी F2, F3 काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर की तहरीर बावत वादी की पुत्री 1. कोमल उम्र 18 वर्ष 2. तनु उम्र 17 वर्ष का घर से बिना बताये कही चले जाने व वापस न आने की सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 262/26 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

### **पुलिस कार्यवाही:-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियान "ऑपरेशन मुस्कान" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकार सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना अध्यक्ष श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 गुमशुदा युवतियों 1. कोमल पुत्री आशीष निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद स0पुर उम्र 18 वर्ष व 2. तनु पुत्री आशीष निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद स0पुर उम्र 17 वर्ष को नया बहरामपुर सैक्टर 61 गुरुग्राम थाना सैक्टर 65 गुरुग्राम हरियाणा से सकुशल बरामद कर लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गुमशुदा युवतियों का नाम व पता-**

1. कोमल पुत्री आशीष निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद स0पुर उम्र 18 वर्ष
2. तनु पुत्री आशीष निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद स0पुर उम्र 17 वर्ष

### **बरामद करने वाली पुलिस टीम -**

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमरीश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है0का0 660 कपिल पवांर थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. रि0म0का0 2269 शिवानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. रि0म0का0 2260 तनू थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक: 30-05-2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

**घटना का विवरण:**

दिनांक 15.04.2026 को वादी उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की सूचना जुबानी बावत अभियुक्तगण **प्रथम पक्ष** के 1. खुरशैद पुत्र लतीफ 2. नौसाद पुत्र लतीफ 3. गुलबहार पुत्र जमशैद 4. तनवीर पुत्र जमशैद 5. हुसैन पुत्र खुरशैद 6. जुनैद पुत्र खुरशैद 7. सलमान पुत्र नौसाद निवासी गण ग्राम कलालहटी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व **द्वितीय पक्ष** के 1. अरशद पुत्र शमशाद 2. परवेज पुत्र शमशाद 3. गुड्डू पुत्र शमशाद 4. फैजान पुत्र लतीफ 5. शाहरुन पुत्र फैजान निवासी गण ग्राम कलालहटी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर व अन्य 2-3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुस्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर व ट्यूबवैल का पानी चलाने को लेकर दोनो पक्षों में गाली गलौच करते हुए एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 145/26 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसमें पूर्व में 06 अभि0गण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है

**पुलिस कार्रवाई:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र लतीफ निवासी ग्राम कलालहटी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम कलालहटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

फैजान पुत्र लतीफ निवासी कलालहटी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 231 रोहित थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. का0 1323 कुलदीप थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वारंटी अभियुक्त अकमल पुत्र शाहनवाज निवासी मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0-3210/24 व मु0अ0सं0-58/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) में मौहल्ला छिपियान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अकमल पुत्र शाहनवाज निवासी मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. है0का0 380 आजाद सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर



दिनांक-30.05.2026

**---प्रेस नोट ---**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के**  
**दृष्टिगत 02 अभियुक्तों का शान्ति भंग में किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा **02 अभियुक्तगण** **1. नदीम पुत्र नईम निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व 2. दाऊद पुत्र रोनाक अली निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत घंटाघर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. नदीम पुत्र नईम निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. दाऊद पुत्र रोनाक अली निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 महेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 30.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **02 वारण्टी अभियुक्तगण**

**1. करन सिंह पुत्र मोल्हड़ सिंह निवासी हसनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 2062/05 धारा 406 भादवि (श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) में व **2. बबीता रानी पत्नी उमेश कुमार निवासी सिद्धार्थ नगर गली नं0 02 आटीसी रोड़ थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 5049/25 धारा 420/406/506 भादवि में जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1. करन सिंह पुत्र मोल्हड़ सिंह निवासी हसनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. बबीता रानी पत्नी उमेश कुमार निवासी सिद्धार्थ नगर गली नं0 02 आटीसी रोड़ थाना सदर बाजार स0पुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. म0उ0नि0 चंचल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
4. रि0का0 2073 अतुल कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
5. म0का0 619 पारूल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
7. म0का0 616 शैली थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
8. चालक जितेन्द्र थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर



दिनांक: 30.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया**  
**गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वांछित वारंटी अभियुक्त किशन पुत्र बिशम्बर निवासी ग्राम भोजेवाला थाना बेहट जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 11455/22 व मु०अ०स० 229/09 धारा 452/323/324/325/ भादवि (मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं०-18 स०पुर) नियत दि० 03.06.2026 में ग्राम भोजेवाला से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

किशन पुत्र बिशम्बर निवासी ग्राम भोजेवाला थाना बेहट जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० बच्चू सिंह थाना बेहट, सहारनपुर
2. हे०कां० 264 अनिल कुमार थाना बेहट, सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 30-05-2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण पर कार्यवाही के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार दीखित के नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त फारूख उर्फ खट्टा पुत्र कामिल नि0 मौ0 सडक पार कस्वा व थाना बेहट जिला सहारनपुर को पूर्वी यमूना नहर पटरी पर खत्तो के पास से एक चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 224/2026 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

फारूख उर्फ खट्टा पुत्र कामिल निवासी मौ0 सडक पार कस्वा व थाना बेहट जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

एक नाजायज चाकू

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त फारूख उर्फ खट्टा-**

1. मु0अ0सं0- 69/2022 धारा- 398/401 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 72/2022 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 73/2022 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 585/2025 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 1802 बिट्टू कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. रि0 का0 420 सूर्यकान्त दिवाकर थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक- 30.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

विवरण:-

दिनांक 25.05.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नवीन पुत्र बिरमपाल निवासी ग्राम हरपाल थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 300/26 धारा 75/333 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया था। विवेचना व पीडिता के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम का विलोप कर व धारा 76 बीएनएस व 9म/10 पोक्सो अधिनियम की बढोतरी की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त नवीन उर्फ भूरा पुत्र बिरमपाल नि0 हरपाल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को कस्बा अम्बेहटापीर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नवीन उर्फ भूरा पुत्र बिरमपाल नि0 हरपाल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 मनवीरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. कां0 1921 विकास थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. रि0आ0 1619 प्रिंस कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. रि0म0का0 प्राची थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. म0रि0आ0 आकांक्षा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त पंकज पुत्र काला नि0 ग्राम कुरलकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0- 41/2023 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना देवबन्द मा0 अपर जिला एव सत्र न्यायधीश देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में ग्राम कुरलकी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –**

फकीरा उर्फ फकीर चन्द पुत्र परमानन्द निवासी ग्राम सापला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1-उ0नि0 सुन्दर सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- है0का0 773 सचिन कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3-का0 2096 गौरव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 30.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त पंकज पुत्र काला नि0 ग्राम कुरलकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0- 34/2022 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना देवबन्द मा0 अपर जिला एव सत्र न्यायधीश देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में ग्राम कुरलकी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी /अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पता -**

साईम सिद्धीकी पुत्र अब्दुल माबूद निवासी मौ0 महल करबा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

01-उ0नि0 सन्दीप कुमार थाना देवबन्द जिला स0पुर

02 है0का0 272 जुगेन्द्र मलिक थाना देवबन्द जिला स0पुर

03 है0का0 1311 अनिल कुमार थाना देवबन्द जिला स0पुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 19.12.2009 को वादी संजीव कुमार पुत्र देशराज निवासी ग्राम बछेडा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र मानसिंह नि0 बछेडा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर शस्त्रो से लैस होकर वादी के पिता देशराज को गोली मारकर हत्या कर देना व वादी पर जान की मारने की नियत से फायर करने की सूचना पर मु0अ0सं0-217/2009 धारा-302,307/34 भादवि थाना बडगांव पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-103/2025 पर माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **30.05.2026** को अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र मानसिंह नि0 बछेडा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-217/2009 धारा-302,307/34 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री देवी दयाल शर्मा

विवेचक- निरीक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह

पैरोकार- का0 देवजीत थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 30.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के मुकदमें में 04 अभियुक्तों 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15,000-15,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.05.2023 को वादी मौहम्मद शहजाद पुत्र जाबिर नि० पाण्डोली थाना नागल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र गुफरान उर्फ फाना 2. नौशाद पुत्र गुफरान उर्फ फाना 3. शमशाद पुत्र गुफरान उर्फ फाना 4. दिलशाद पुत्र गुफरान उर्फ फाना नि०गण पाण्डोली थाना नागल जनपद सहारनपुर द्वारा बच्चों के खेलने को लेकर हुए झगड़े में वादी के पिता व एक अन्य व्यक्ति को लाठी डण्डों से मारपीट करते हुये गम्भीर रूप से घायल कर देने की सूचना पर मु०अ०सं०-143/2023 धारा-308/323/504/506 भादवि थाना नागल पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं०-28/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र गुफरान उर्फ फाना 2. नौशाद पुत्र गुफरान उर्फ फाना 3. शमशाद पुत्र गुफरान उर्फ फाना 4. दिलशाद पुत्र गुफरान उर्फ फाना नि०गण पाण्डोली थाना नागल जनपद सहारनपुर को मु०अ०सं०-143/2023 धारा-308/323/504/506 भादवि का दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15,000-15,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए०डी०जी०सी०) श्री देवी दयाल शर्मा

विवेचक- उ०नि० श्री महेश सिंह

पैरोकार- का० अनुग्रह कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।